प्राक्कथन

"डीम्ड निर्यात फिरती योजना " तथा "ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी इकाईयों को केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) की प्रतिपूर्ति " पर दो निष्पादन लेखापरीक्षाओं के परिणामों से निहित मार्च 2012 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियों-अप्रत्यक्ष करों की लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत की जाती है।

इस प्रतिवेदन में शामिल की गई आपत्तियां वर्ष 2012-13 के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर आधारित थी।